

राजस्थान सरकार  
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक: राम/प-2/3/6/रातस/2021/5842


दिनांक: 23/09/2021

-: ओदश :-

राजस्थान तहसीलदार सेवा नियमावली 1956 के नियम 32 एवं कार्मिक विभाग, जयपुर के परिपत्र क्रमांक: प-2(1) कार्मिक/क-2/अ.प्र./91 दिनांक 31.3.15 के तहत मण्डल की समसंख्यक विज्ञप्ति क्रमांक 2253 दिनांक 13.05.2021 के द्वारा संस्थाई नायब तहसीलदारों (नॉन टीएसपी क्षेत्र) की दिनांक 1.4.2021 की स्थिति की अंतिम वरिष्ठता सूची (FINAL Seniority List) जारी की गयी।

उक्त जारी वरिष्ठता सूची में क्रमांक 7 पर अंकित श्री अशोक कुमार सोनी/राधेश्याम एवं क्रमांक 8 पर अंकित श्री नरेन्द्र सिंह सोलंकी/विजय सिंह के मध्य क्रमांक 7 ए पर श्री शंकर लाल/ भैरु लाल का नाम प्रतिस्थापित किया जाता है। साथ ही क्रमांक 57 पर अंकित श्री शेलेन्द्र सिंह /लादुराम का नाम एतद्द्वारा विलोपित किया जाता है।

आदेशानुसार

  
( बाबू लाल मीणा )

निबन्धक,


राजस्व मण्डल राज., अजमेर

दिनांक: 23/09/2021

क्रमांक: सम/ 5843-5855

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 2- जिला कलक्टर राजसमंद/अजमेर
- 3- उप-निबंधक (भू-अभिलेख), राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर।
- 4- प्रभारी अधिकारी (कम्प्यूटर), राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर।
- 5- . . . . .
- 6- संबंधित कार्मिक श्री.....।
- 8- निजी पत्रावली/ आदेश पंजिका ।

  
( भंवर सिंह साण्डू )

अतिरिक्त निबन्धक

राजस्व मण्डल राज., अजमेर